भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3619

उत्तर देने की तारीख : 10.08.2023

नया सवेरा योजना के अंतर्गत लाभार्थी

3619. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान नया सवेरा योजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों/अभ्यर्थियों की वर्ष-वार और राज्य-वार कुल संख्या कितनी है:

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) द्वारा प्रदान की गई कोचिंग के निष्पादन और गुणवत्ता की निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्या तंत्र उपलब्ध है;

(घ) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई शिकायतें या परिवाद प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): मंत्रालय ने पैनलबद्ध परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से देश भर में 'नया सवेरा' योजना ('नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध' योजना) लागू की है। यह योजना वर्ष 2022-23 से बंद कर दी गई है क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 कोचिंग कार्यक्रम का समर्थन नहीं करती है और इसका उद्देश्य बोर्ड के मौजूदा प्रणाली और प्रवेश परीक्षा में सुधार करना है ताकि कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान योजना के तहत आवंटित धनराशि, उपयोग की गई धनराशि और आवंटित छात्रों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	आवंटित धनराशि (संशोधित अनुमान) (करोड़ रुपये में)	उपयोग की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)	आवंटित छात्रों की संख्या
2020-21	25.00	18.44	5,300
2021-22	39.35	37.15	5,090
2022-23	29.97	25.00	शून्य*

*योजना के बंद होने के कारण वर्ष 2022-23 के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है।

योजना के तहत लाभान्वित अल्पसंख्यक छात्रों और पीआईए को जारी किए गए धन का राज्य-वार विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। योजना के तहत राज्यवार धनराशि आवंटित नहीं की जाती है।

(ग): योजना के तहत कोचिंग सेंटर की बुनियादी सुविधाओं के सत्यापन सहित कोचिंग कार्यक्रम की निगरानी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा की गई थी। इसके अलावा, क्षेत्र स्तर पर योजना की समवर्ती निगरानी भी एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से की गई थी। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA), नई दिल्ली द्वारा 2020 में योजना का एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययन भी आयोजित किया गया था। इसके अलावा, पीआईए को निर्धारित सफलता दर हासिल करने की आवश्यकता होती है, ऐसा न करने पर उन्हें मिलने वाला अनुदान आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है।

(घ) और (ङ): जब भी योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई आरोप या शिकायत मंत्रालय में प्राप्त होती है, दिशानिर्देशों और मौजूदा नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

*****